

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

विजय कुमार प्रसाद

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2014 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 14787

में

2017 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1383

07 मई 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी. पी.डी. सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलार्थी, जिसने प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर सेवा निवृत्ति तक कार्य किया, इस आधार पर अपनी पेंशन और सेवानिवृत्त लाभों को अंतिम वेतन के अनुसार निर्धारित कराने का अधिकार रखता है, भले ही प्रशासनिक स्तर पर बाद में उसकी पदोन्नति की वैधता पर आपत्ति उठाई गई हो?

हेडनोट्स

अपीलकर्ता ने सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि तक प्रधानाध्यापक पद के कर्तव्यों का निर्वहन किया और अंतिम वेतन ₹27,170/- आहरित करते हुए सेवा से सेवानिवृत्त हुए। बिहार पेंशन नियमावली यह प्रावधान करती है कि पेंशन का निर्धारण केवल अंतिम आहरित वेतन के आधार पर किया जाना है। साथ ही, अपीलकर्ता को प्रधानाध्यापक पद से उसके पूर्ववर्ती संवर्ग में न तो स्थानांतरित किया गया और न ही पदावनत किया गया, अतः माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता के दावे को अस्वीकार करना त्रुटिपूर्ण है। (पैरा 4)

न्याय दृष्टान्त

स्मिथ बनाम ईस्ट एलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, 1956 AC 736 at 7; प्रह्लाद राउत बनाम एम्स, (2021) 14 SCC 472

अधिनियमों की सूची

बिहार पेंशन नियमावली

मुख्य शब्दों की सूची

पेंशन निर्धारण; अंतिम वेतन; पदोन्नति की वैधता; सेवानिवृत्त लाभ; पदावनति; प्रधानाध्यापक पद; प्रशासनिक कानून; अमान्य आदेश का कानूनी प्रभाव

प्रकरण से उत्पन्न

दिनांक 04.08.2017 को पारित निर्णय, सिविल रिट सं. 14787 / 2014

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री असहर मुस्तफा, अधिवक्ता; श्री अबू नासर, अधिवक्ता; श्रीमती अनीता कुमारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री शशि शेखर तिवारी, एसी टू एएजी-15; श्री डॉ. आनंद कुमार, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2014 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 14787

में

2017 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1383

=====

विजय कुमार प्रसाद, पुत्र स्वर्गीय राम जुलम सिंह, निवासी-गाँव- मुरौल, पुलिस थाना- सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर ।

... ..याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, पटना ।
3. महालेखाकार, बिहार, पटना।
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना।
5. जिला अधिकारी (कलेक्टर), मुजफ्फरपुर।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी स्थापना, शिक्षा, मुजफ्फरपुर।
7. प्रधानाध्यापक, सरकारी माध्यमिक विद्यालय, एथा, अंचल-मुरौल, मुजफ्फरपुर

.....प्रतिवादी/ओं

=====

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री असहर मुस्तफा, अधिवक्ता
		श्री अबू नासर, अधिवक्ता
		श्रीमती अनीता कुमारी, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए	:	श्री शशि शेखर तिवारी, ए.सी. से ए.जी.-15
राज्य के लिए	:	श्री डॉ. आनंद कुमार, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी. प्रसाद सिंह

मौखिक निर्णय

(प्रति:माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री)

दिनांक : 07-05-2025

अपीलार्थी ने दिनांक 04.08.2017 को माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 14787/2014 में पारित आदेश को चुनौती दी है। अपीलार्थी शिक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए 04.09.2008 को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए थे, जिसका वेतनमान रूपए 7,500-12,000 निर्धारित की गई थी और अपीलार्थी ने 28.02.2010 को अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर सेवा से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। उनकी सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ अंतिम आहरित वेतन के आधार पर निर्धारित नहीं किए गए हैं। उनका अंतिम वेतन 27,170 रुपये बताया गया है। दूसरी ओर, उनका अंतिम वेतन 25,930 रुपये माना गया है। रूपए 25,930/- वेतन निर्धारित करने का कारण उनके पदोन्नति आदेश दिनांक 04.09.2008 को सुधार के नाम पर इस आधार पर बताया गया है कि वे 04.09.2008 को पदोन्नति के पात्र नहीं थे। वे केवल 12 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के बाद ही पदोन्नति के पात्र होते।

2. यह दृष्टिगत है कि उन्होंने प्रधानाध्यापक पद की जिम्मेदारियां निर्वहन की हैं तथा 28.02.2010 को प्रधानाध्यापक के रूप में सेवानिवृत्त हुए, जिनका अंतिम वेतन रु 27,170/- था। बिहार पेंशन नियमावली में पेंशन का निर्धारण केवल अंतिम वेतन के आधार पर करने का प्रावधान है। अंतिम वेतन 27,170/- रुपये को 25,930/- रुपये में तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति आदेश वापस नहीं ले लिया जाता या रद्द या संशोधित नहीं कर दिया जाता। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता को फीडर कैडर में हेडमास्टर के पद पर वापस भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा उन्होंने पदोन्नति वाले पद के कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐसी कार्रवाई के अभाव में, प्रतिवादी सीधे तौर पर अंतिम

वेतन 25,930 रुपये निर्धारित नहीं कर सकते, जबकि उन्होंने 27,170 रुपये की राशि ली है।

3. पदोन्नति आदेश अंतिम रूप ले चुका है और इसे न तो प्राधिकरणों द्वारा और न ही किसी अन्य मंच द्वारा बाधित किया गया है। इस संबंध में, स्मिथ बनाम ईस्ट एलोर रूल डिस्ट्रिक्ट, 1956 ए सी 736 पर पृष्ठ 769 में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, जिसमें लार्ड रेडक्लिफ ने यह अवलोकन किया है :

“भले ही एक आदेश सद्भावना से नहीं किया गया हो, फिर भी एक ऐसा कार्य है जो कानूनी परिणामों में सक्षम है। इसके माथे पर अयोग्यता का कोई निशान नहीं है। जब तक अयोग्यता के कारण को स्थापित करने और इसे रद्द करने या अन्यथा परेशान करने के लिए कानून में आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है, तब तक यह अपने स्पष्ट उद्देश्य के लिए उतना ही प्रभावी रहेगा जितना कि सबसे त्रुटिहीन आदेश।

प्रो. वेड प्रशासनिक कानून 6वां संस्करण पृ. 352 (1918-2004) बीते दशकों के एक महान विधिवेत्ता एक कदम आगे बढ़कर लिखते हैं:

“.....सिद्धांत समान रूप से सही होना चाहिए, भले ही अयोग्यता का 'ब्रांड' स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो; क्योंकि वहां भी आदेश

का प्रभावी ढंग से विरोध केवल न्यायालय का निर्णय प्राप्त करके किया जा सकता है। मामले की सच्चाई यह है कि न्यायालय किसी आदेश को केवल तभी अमान्य करेगा जब 'सही व्यक्ति द्वारा सही कार्यवाही और परिस्थितियों में सही उपाय मांगा जाए। आदेश काल्पनिक रूप से अमान्य हो सकता है, लेकिन अदालत वादी की स्थिति की कमी के कारण इसे रद्द करने से इनकार कर सकती है, क्योंकि वह विवेकाधीन उपचार का हकदार नहीं है, क्योंकि उसने अपने अधिकारों को माफ कर दिया है, या किसी अन्य कानूनी कारण से। ऐसे किसी भी मामले में 'शून्य' आदेश प्रभावी रहता है और वास्तव में वैध होता है...."

यह दृष्टिकोण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रहलाद राउत बनाम एम्स

(2021) 14 एससीसी 472 में दोहराया गया।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इन महत्वपूर्ण सामग्रियों पर इस हद तक ध्यान नहीं दिया गया है कि अपीलार्थी ने प्रधान शिक्षक पद के कर्तव्यों का निर्वहन उस तारीख तक किया है जिस दिन वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है और सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है और अंतिम वेतन रूपए 27, 170/- प्राप्त कर रहा है। बिहार पेंशन नियमावली एक वैधानिक प्रावधान है जिसमें प्रावधान है कि पेंशन केवल अंतिम वेतन के संदर्भ में तय की जानी चाहिए। और इसलिए भी, प्रधान शिक्षक पद के

लिए फीडर कैडर से कोई वापसी या वापसी नहीं है, इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार करने में त्रुटि की है।

5. इन तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में अपीलार्थी ने इस हद तक एक मामला बनाया है कि उसके सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन का निर्धारण अंतिम वेतन रुपये 27,170/- के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में, संबंधित अधिकारी-उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे इस पर ध्यान दें और अंतिम वेतन रुपये 27,170/- के संदर्भ में सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन का पुनर्निर्धारण करें और इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर राशि का अंतर बढ़ा दें।

6. इस संबंध में, आवश्यक गणना-पत्रक तैयार किया जाएगा और इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता को प्रदान की जाएगी। यदि इस आदेश का अधिकारी-प्रत्यर्थियों द्वारा पालन नहीं किया जाता है, तो अपीलार्थी मुकदमे की लागत का हकदार है और इसकी मात्रात्मक राशि रु 20,000/- निर्धारित की जाती है।

7. इस प्रकार से सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 14787/2014 के संदर्भ में दिनांक 04.08.2017 को पारित विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश दरकिनार कर दिया गया है। तदनुसार, वर्तमान एल.पी.ए. संख्या-1383/2017 की अनुमति प्रदान की जाती है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(एस. बी. प्रसाद सिंह, न्यायमूर्ति)

अंकित कुमार/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।